UPAG010057122026

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–04, आगरा।**

पीठासीन अधिकारी– पवन कुमार श्रीवास्तव (उच्चतर न्यायिक सेवा)–**UP06222**

**फौजदारी अपील सं0–138/2026**

सोहिल उर्फ पिंगा उम्र करीब–22 वर्ष पुत्र असलम, निवासी–झाडू वाली गली, थाना–न्यू आगरा, जिला–आगरा

............अपीलार्थी

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. विकास दूबे पुत्र श्री राम चन्द, निवासी– म0नं0 22 टैगोर नगर, थाना न्यू आगरा, जिला आगरा। .............. विपक्षीगण

मुकदमा अपराध सं0–34/2024
धारा–380, 457, 411, भा0दं0सं0
थाना–न्यू आगरा, जिला आगरा।

**निर्णय**

**1.** प्रस्तुत फौजदारी अपील, अपीलार्थी सोहिल उर्फ पिंगा ने विद्वान विचारण न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा दण्ड वाद सं0–21350/2024, राज्य बनाम सोहिल उर्फ पिंगा, मुकदमा अपराध सं0– 34/2024, धारा–380, 457, 411, भा0दं0सं0 थाना–न्यू आगरा जिला आगरा में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 12.12.2025 से क्षुब्ध होकर योजित किया है।

**2.** आक्षेपित निर्णय में अपीलार्थी सोहिल उर्फ पिंगा को धारा–380, 457, 411 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध कर, धारा–380 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास व मु0 5,000/–रूपये अर्थदण्ड, धारा–457 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास व मु0 2,000/–रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 411 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत 1 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। दोषसिद्ध सोहिल उर्फ पिंगा के द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर धारा–380 भा0दं0सं0 में 10 व धारा 457 भा0दं0सं0 में 7 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगी जायेगी। अभियुक्त की जेल में बिताई गयी अवधि सजा में समायोजित करने और सभी सजायें एक साथ

चलने का आदेश दिया गया है।

3. **प्रकरण के तथ्य–** प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी विवेक दुबे पुत्र रामानन्द दुबे, निवासी–22 टैगोर नगर, दयाल बाग, न्यू आगरा द्वारा थाना न्यू आगरा में इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि वादी इण्डसइंड बैंक में मैनेजर के पद पर संजय पैलेस में कार्यरत है। वह अपनी बहन के मकान 22 टैगोर नगर में रहता है। वादी की पत्नी शिवानी मिश्रा जो कि एक अध्यापिका है जो इस समय प्राथमिकी विद्यालय जैंथरा में कार्यरत है। उसकी बहन द्वारा किरायेदार राजेश कुमार, श्याम सुन्दर, निवासी शिकोहाबाद, नीयर पंजाब नेशनल बैंक जिला फिरोजाबाद उसी मकान में किराये पर नीचे अपने परिवार के साथ रहते है। वह दिनॉक–20.01.2024 से जैंथरा चला गया था। तब से वह वापस आगरा नहीं आया। किरायेदार राजेश कुमार के बेटे अनुज वर्मा की शादी है। इस कारण राजेश कुमार अपने घर शिकोहाबाद चले गये थे। दिनॉक–27.01.2024 को पता चला कि घर का ताला टूटा हुआ है। हम लोगों ने घर आकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। मौके पर किरायेदार राजेश कुमार भी मौजूद है। उसकी पत्नी की दो चूड़ी, सोने की, अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है।

4. वादी की उपरोक्त तहरीर पर थाना न्यू आगरा पर मुकदमा अपराध सं0–34/2024, समय 21:50 बजे दिनॉक–27.01.2024 को अज्ञात चोर के विरूद्ध धारा–380, 457 भा0दं0सं0 में पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान दिनॉक–01.09.2024 को उप–निरीक्षक अमित बालियान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बॉयज हॉस्टल मुगल रोड/सुल्तान गंज की पुलिया के पास से अपीलार्थी सोहिल उर्फ पिंगा और रिहान पुत्र चॉद बाबू को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से एक लाख सत्तर हजार एक सौ रूपये नगद, पीली व सफेद धातु के हार, चूड़ी, सिक्के, बिछुआ आदि जेवरात बरामद किया गया। बरामदगी व अभियुक्तगण की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर इस प्रकरण में अभियुक्तगण सोहिल उर्फ पिंगा तथा रिहान के विरूद्ध धारा 380, 457, 411 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण सोहिल उर्फ पिंगा एवं रिहान को आरोप–पत्र पर संज्ञान लेकर विचारण हेतु तलब किया गया तथा दिनॉक–16.12.2024 को सभी धाराओं में अभियुक्तगण में आरोप विरचित किया गया एवं अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार करने पर पत्रावली साक्ष्य में नियत की गयी।

**6.** अभियुक्त सोहिल उर्फ पिंगा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध रहते हुये, जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र दिनॉक–29.11.2025 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त सोहिल उर्फ पिंगा को जिला कारागार से तलब कर दिनॉक–12.12.2025 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुये, आक्षेपित दण्डादेश पारित किया गया।

**7.** उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि विद्वान विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा पारित निर्णय दिनॉकित–12.12.2025 बिना पत्रावली का गहन अवलोकन किये पारित किया गया है जो कि खण्डित होने योग्य है। अपीलार्थी को एक षडयन्त्र के तहत अज्ञात चोरों के विरूद्ध मुकदमा में फंसाया गया है जब कि अपीलार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है और न ही अपीलार्थी से कोई बरामदगी हुई है। उपरोक्त केस में अपीलार्थी दिनॉक–02.09.2024 से जिला जेल में निरूद्ध है। तब से अपीलार्थी उक्त मुकदमा को लड़ रहा है। अपीलार्थी उपरोक्त मुकदमा को गुण दोष के आधार पर समाप्त कराना चाहता था, लेकिन अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 29.11.2025 को जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र इस उद्देश्य से दिया गया था कि जेल में बिताई गयी अवधि के आधार पर मुकदमा निस्तारण कर देंगे। लेकिन उस समय अपीलार्थी जेल से नहीं आया था तो अधिवक्ता अपने काम में व्यस्त हो गयी तो उस तिथि पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का अवलोकन किये बिना कि इस प्रार्थनापत्र पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर तक भी नहीं है उक्त प्रार्थनापत्र पर दिनाँक 12.12.2025 को आदेश पारित किया है। उक्त जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र व आदेश की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी और ना ही अपीलार्थी ने जुर्म इकबाल करने का कोई प्रार्थनापत्र दिया है। फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर न होते हुये भी उक्त आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है एवं खण्डित होने योग्य है। उपरोक्त मामले की जानकारी अपीलार्थी को जब हुई जब अपीलार्थी को जेल से न्यायालय में नियत तिथियों पर तलब नहीं किया गया और अपीलार्थी की भाभी जेल में मिलने गयी तब अपीलार्थी ने अपने भाभी से कहा कि मुझे न्यायालय में तारीख पर नहीं ले जाया जा रहा है आप वकील साहब से जानकारी करके बताओ तब अपीलार्थी की भाभी ने वकील साहब से जानकारी करायी तो मालूम पडा है कि अपीलार्थी के पूर्व अधिवक्ता महोदय के द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि पर मुकदमा समाप्त करने

के प्रार्थनापत्र/जुर्म इकबाल के प्रार्थनापत्र पर ही अपीलार्थी का मुकदमा जुर्म इकबाल के आधार पर समाप्त हो गया। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा जेल से कोई भी रिपोर्ट/आख्या तलब नहीं की गयी और ना ही मौके पर अधिवक्ता को बुलाया गया है। इसके बाद अधिवक्ता को मुकदमा निस्तारण होने की कोई जानकारी नहीं हुई। इसके बाद अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले की जानकारी करवायी और आदेश दिनॉक 12.12.2025 की सत्य–प्रतिलिपि प्राप्त करते हुये विद्वान सत्र न्यायालय में यह अपील दाखिल की जा रही है। अपीलार्थी उपरोक्त मामले को गुण दोष के आधार पर समाप्त कराना चाहता है या उक्त केस को अपीलार्थी जेल में बिताई गयी अवधि को ही जुर्म इकबाल स्वीकार कर अपीलार्थी को रिहा करने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित–12.12.2025 निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

**8.** यह अपील विद्वान सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा अंगीकृत की गयी। पत्रावली अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब होकर संलग्न है। विपक्षी सं0 2 तामीला उपरान्त उपस्थित नहीं हुआ है।

**9.** मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सैय्यद इरशाद अली, राज्य की ओर से विद्वान ए0डी0जी0सी0 को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

**10.** इस अपील के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दुओं पर विचार करना है–

(1) क्या अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है ?

(2) क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से विधि अनुसार आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है ?

**11.** अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया जबकि, अभियुक्त जेल में था और प्रार्थनापत्र पर उसका हस्ताक्षर भी नहीं है। अभियुक्त ने स्वेच्छया जुर्म स्वीकार नहीं किया है और वह अपने मामले का निस्तारण गुण दोष के आधार पर कराना चाहता है। इसके विपरीत राज्य की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने तर्क दिया कि जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र अभियुक्त द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है और दण्डादेश एवं दोषसिद्धी

आदेश पर अभियुक्त का अंगूठा निशान है, अर्थात उक्त आदेश उसकी उपस्थिति में पारित किया गया है।

**12.** उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार कर विचारण की मांग की गयी है और पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत थी जिस स्तर पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान नही है और उक्त तिथि दिनॉक–29.11.2025 के आदेश पत्र में अभियुक्त सोहिल उर्फ पिंगा के जेल से उपस्थित होने का उल्लेख नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दिनॉक–29.11.2025 को अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथाकथित जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र अभियुक्त सोहिल उर्फ पिंगा की अनुमति अथवा सहमति से प्रस्तुत किया गया था।

**13.** विद्वान न्यायालय के आक्षेपित दोषसिद्धि आदेश दिनॉक–12.12.2025 में यह उल्लेख है कि अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से जुर्म इकबाल हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। आदेश में उल्लेख है कि अभियुक्त सोहिल उर्फ पिंगा द्वारा जुर्म स्वैच्छिक रूप से इकबाल किया गया है किन्तु अभियुक्त का परीक्षण विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अंकित नहीं किया गया है। इस स्तर पर उल्लेखनीय है कि अभियुक्त का परीक्षण कर उसका अभिलेख तैयार किये जाने की विधि बी0एन0एस0एस0 2023 की धारा 316, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–281 के समान है, में दी गयी है। उक्त प्राविधान के अनुसार अभियुक्त की परीक्षा किए जाने पर उससे पूँछे गये प्रत्येक प्रश्न और उसके द्वारा दिए गये प्रत्येक उत्तर सहित ऐसी सब परीक्षा स्वयं पीठासीन न्यायाधीश द्वारा या उसके निदेशन और अक्षीक्षण में पूरे तौर पर अभिलिखित की जायेगी। अभिलेख, यदि साध्य हो तो, उस भाषा में होगा जिसमें अभियुक्त की परीक्षा की जाती है यदि यह साध्य न हो तो न्यायालय की भाषा में होगा। अभिलेख अभियुक्त को दिखा दिया जायेगा या उसे पढ़कर सुना दिया जाएगा या यदि वह भाषा को नहीं समझता है जिसमें वह लिखा गया है तो उसका भाषान्तर उसे उस भाषा में. जिसे वह समझता है, सुनाया जाएगा और वह अपने उत्तरों का स्पष्टीकरण करने या उनमें कोई बात जोडने के लिये स्वतन्त्र होगा। तब उस पर अभियुक्त और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर करेंगे और मजिस्टेट या पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि परीक्षा उसकी उपस्थिति में की गई थी और उसने सुना था और अभिलेख में अभियुक्त

द्वारा किए गये कथन का पूर्ण और वर्णन हैः परन्तु कि जहाँ अभियुक्त अभिरक्षा में है तथा इलैक्ट्रानिक माध्यम से उसका परीक्षण किया जाता है तो ऐसे परीक्षण से बहत्तर घंटे के भीतर उसके हस्ताक्षर लिये जाएंगे।

**14.** उपरोक्त प्राविधान के अनुसार अभियुक्त को समझाकर तथा यह सुनिश्चित करें कि वह स्वेच्छा से बयान दे रहा है उसकी परीक्षा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं या अपने निर्देशन में अभिलिखित करायी जायेगी। ऐसी परीक्षा अभियुक्त को पढ़कर सुनाई जायेगी और तब उस पर अभियुक्त एवं पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और पीठासीन अधिकारी यह भी प्रमाणित करेंगे कि परीक्षा उसकी उपस्थिति में की गयी थी और अभिलेख में अभियुक्त द्वारा किये गये कथन का पूर्ण एवं सही वर्णन है। यह एक आवश्यक विधिक प्राविधान है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त द्वारा किया जा रहा कथन उसने सोच समझकर स्वेच्छा से न्यायालय के समक्ष किया है। ऐसा परीक्षण उपलब्ध न होने की दशा में यह माना जाना सम्भव नही है कि अभियुक्त ने सोच समझकर स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में इस बात पर बल दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिक संस्वीकृति न केवल स्वेच्छया होनी चाहिये, अपितु अभियुक्त द्वारा ऐसी संस्वीकृति सोच समझकर परिणाम जानकर की जानी चाहिये तथा यह सुनिश्चित करने का दायित्व विद्वान विचारण न्यायालय का है।

**15.** प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की न्यायिक संस्वीकृति विहित प्राविधान के अनुसार अंकित नहीं की गयी है जिसके कारण यह युक्ति–युक्त संदेह उत्पन्न हो रहा है कि क्या अभियुक्त/अपीलार्थी ने सोच समझकर स्वेच्छा से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जुर्म स्वीकार किया था अथवा नहीं ? अपीलार्थी ने अपील मेमो में स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति करने से इंकार किया है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रक्रिया का पालन न किये जाने से यह न्यायालय अभियुक्त/अपीलार्थी के अपील मेमो में किये गये कथन को मानने के लिए विवश है कि उसने स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी के तथाकथित जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र पर पारित निर्णय एवं दण्डादेश विधि अनुरूप न होने के कारण खण्डित किये जाने योग्य है।

**16.** उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व आदेश दिनॉकित–12.12.2025 न केवल विधि विरूद्ध है अपितु

अपने निहित क्षेत्राधिकारिता का अनुचित प्रयोग है। अतः अपील स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 12.12.2025 निरस्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार अवधारणीय बिन्दु निस्तारित किया जाता है। इस प्रकरण में अभियुक्त का विचारण विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया गया है एवं दोषसिद्धि आधारित निर्णय अपास्त किये जाने के उपरान्त अभियुक्त/अपीलार्थी सोहिल उर्फ पिंगा का विचारण प्रारम्भ किये जाने का निर्देश दिया जाना उचित है। अपील स्वीकार कर मामला परीक्षण हेतु विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

**17.** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत फौजदारी अपील सं0 138/2026 स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा दण्ड वाद सं0–21350/2024, राज्य बनाम सोहिल उर्फ पिंगा, मुकदमा अपराध सं0– 34/2024, धारा–380, 457, 411, भा0दं0सं0 थाना–न्यू आगरा जिला आगरा में पारित दोष सिद्धि आदेश एवं दण्डादेश दिनांकित 12.12.2025 अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी सोहिल उर्फ पिंगा को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय के एक माह के भीतर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, प्रकरण में पारित पूर्व जमानत आदेश के अनुसार अपने बंधपत्र प्रस्तुत करेगा और विचारण का सामना करेगा।

**18.** इस निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब मय अभिलेख प्रेषित की जाए। विद्वान विचारण न्यायालय अभियुक्त/अपीलार्थी सोहिल उर्फ पिंगा का साक्ष्य के स्तर से विचारण प्रारम्भ करे।

**19.** अपीलार्थी द्वारा अपील में पारित जमानत आदेश के अनुक्रम में प्रस्तुत बंधपत्र निरस्त किये जाते है एवं जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है। अपीलीय पत्रावली नियमानुसार संचित अभिलेखागार हो।

ह0

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष सं0–04, आगरा।
आई0डी0नं0–यू0पी0–6222

दिनांक–13.08.2026

निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

ह0

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष सं0–04, आगरा।
आई0डी0नं0–यू0पी0–6222

दिनांक–13.08.2026

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–04, आगरा।

Digitally signed by PAWAN KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.08.14 16:44:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court